

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ.981 सीसी/स्वा.का.पु./2019/

दिनांक :

संशोधित आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ.981 सीसी/स्वा.का.पु./2017/1730 दिनांक 11.08.17 में प्रतिलिपि क्रमांक 6 में आंशिक संशोधन करते हुये “मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर के स्थान पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर-प्रथम” पढा जावे, आदेश का शेष भाग यथावत रहेगा।

V

(मुकुल शर्मा)

अति० निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं

राज. जयपुर

क्रमांक:एफ.981 सीसी/स्वा.का.पु./2019/320

दिनांक : 18/3/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. उप शासन सचिव वित्त (नियम) विभाग राज. जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जयपुर।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर/जयपुर-प्रथम।
7. संबंधित खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
8. संबंधित याचिकर्ता को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. प्रभारी सर्वर रूम, कमरा नं. 302, मुख्यालय, को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
10. आदेश/रक्षित पत्रावली।

2

अति० निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं

राज. जयपुर